न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/432

उदयलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्याम लाल आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
2. दौलतराम आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
3. रमेश आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
4. श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धन कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 27.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 , 89 एवं 188 अन्तर्गत ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 512/456 रकबा 08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि उक्त भूमि पर वादी का पिछले 45 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

पील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 45 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.01.1976 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के पिता व पति भैरूसिंह को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी और उक्त भूमि आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 17 ए में प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति मृतक भैरूसिंह के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को सही माना । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.01.1976 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के पिता व पति भैरूसिंह को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी और उक्त भूमि आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 17 ए में प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति मृतक भैरूसिंह के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को सही माना । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह अभिमत दिया है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किया जा सकते । वैसे भी उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता व पति मृतक भैरूसिंह के गैर खातेदारी की भूमि है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/432

उदयलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्याम लाल आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
2. दौलतराम आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
3. रमेश आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
4. श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 03/दावा/2011

उदयलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्याम लाल आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
2. दौलतराम आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
3. रमेश आत्मज श्री भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी ।
4. श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी भैरूसिंह जाति खत्री निवासी विकास नगर, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री धन कुमार जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रमेश जैन उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 27.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा